न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **168/2014** अपील (राजस्व)

श्रीमती ममता डांगी पत्नि लोकेश डांगी, निवासी डागलियों की मगरी, भूवाणा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

1. श्री जगन्नाथ डांगी पिता स्व. श्री दुदा डांगी, निवासी भूवाणा, एरिस्टो इग्लो कॉम्प्लेक्स के पास, पटेल भवन, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)
2. तहसीलदार बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव नामान्तरकरण संख्या 3629 तारीख आदेश 03.01.2014 अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः श्री सम्पतलाल बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री गौतमलाल सिरोया व कैलाश नागदा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1

निर्णय

दिनांकः—.....

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भुवाणा की आराजी नम्बर 1921 एवं 1922 कुल किता 2 रकबा 0.4300 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के दादा दूदा जी के नाम दर्ज था। दूदा जी के वारीसानों में पत्नि परताबाई, पुत्र भेरूलाल, वरदीचन्द, जगन्नाथ, खेमराज एवं किशनलाल (फौत) हैं। अपीलान्ट किशनलाल (फौत) की पुत्री हैं। उक्त भूमि दूदा जी के खातेदारी की थी जिसके दूदा जी आधे हिस्से के खातेदार काश्तकार थे, दुदा जी की मृत्यु दिनांक 19.05.10 को हो गयी व उनके नाम दर्ज भूमि विरासत से दुदा जी के सभी छः वारिसान के नाम 1/6—1/6 हिस्सा दर्ज होना चाहिये व इस संबंध में अपीलान्ट द्वारा दूदा जी की अन्य भूमियों के संबंध में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने बाबत् दिनांक 07.06.2010 को एक प्रार्थना पत्र

तहसीलदार गिर्वा के समक्ष लगाया जिसके दूदाजी की खातेदारी की भूमि मौजा भुवाण की आराजी नम्बर 1914, 1923, 1930 से 1933, 1936 से 1939, 1992 से 1997 कुल किता 16 रकबा 2.9900 हैक्टर एवं आराजी नम्बर 2022 रकबा 0.5800 हैक्टर भूमि में विरासत के आधार पर 1/6–1/6 हिस्सा दर्ज किया जावें जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व भेरूलाल, वरदीचन्द, खेमराज द्वारा दूदा जी की एक वसीयत पेश कर निवेदन किया कि उक्त भूमि वसीयत के आधार पर हमारे नाम दर्ज की जावें जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त वसीयत फर्जी है व गलत तरीके से बनायी गई हैं। दूदा जी की मृत्यु हुई उसके कई वर्ष पहले से वे बिमार थे, उनकी उम्र 96 वर्ष थी, ऑखो से दिखाई नहीं देता था व शरीर लकवाग्रस्त था, ऐसी स्थिति में जो वसीयत पेश की गई है वो संदिग्ध व फर्जी है इसे सक्षम न्यायालय में मेरे मुकाबले में साबित करावें व कानुनन भूमि विरासत के आधार पर खोली जावें, व वसीयत से लाभ प्राप्त करने वाला व्यक्ति वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करा कर अपने अधिकार तय करावें, व कानुनन तहसीलदार जी को वसीयत, दान, गौद जिसके संबंध में विवाद हो तहसील कोर्ट द्वारा प्रोसीड नहीं किया जा सकते है इसलिये प्रकरण में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये जावें। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 23.05.2013 को अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये। लेकिन उक्त आराजीयात के साथ साथ आराजी नम्बर 1921 व 1922 सहवन से लिखना रह जाने से रेस्पोडेंट संख्या 1 जगन्नाथ द्वारा उक्त दोनो आराजी का 1/2 हिस्सा वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखकर अपने नाम दर्ज करवाने के आदेश प्राप्त किये। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में अपने निर्णय दिनांक 23.05.13 को इस वसीयत को नहीं मानते हुए विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये है, ऐसी स्थिति में रेस्पोडेंट संख्या 1 को सारी स्थिति की जानकारी होते हुए कि उक्त वसीयत के अधिकार प्राप्त करने है तो सक्षम न्यायालय में दावा करके ही सहायता

पायी जा सकती है व उसके द्वारा वसीयत में दर्ज भूमि अपने व अपने भाईयों के खाते कराने के संबंध में दावा घोषणा का पेश कर भी रखा है जिसके मुकदमा नम्बर 38/2014 है, फिर भी रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर अपीलान्ट को भूमि से वंचित करने हेतु अधिनस्थ राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से पुर्व आदेश दिनांक 23.05.13 में वर्णित भूमि को छोड़कर सहवन से जो आराजी नम्बर 1921 व 1922 रह गई उसको वसीयत के आधार पर अपने नाम दर्ज करवा ली, इस कारण अपीलान्ट तहसीलदार बड़गॉव द्वारा पारित नामान्तरकरण दिनांक 03.01.14 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई हैं।

अपनी अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानुन मियाद अधिनियम एवं धारा 151 जा.दी. का भी प्रस्तुत प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं। अपने प्रार्थना पत्र में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट को उक्त आदेश दिनांक 03.01.14 की कोई जानकारी नहीं थी नाही दुदाजी के वारीसानों को सुना गया। वसीयत की सत्यता प्रमाणिकरण के संबंध में कोई पत्रावली भी नहीं चलाई गई। मात्र एक प्रार्थना पत्र पर सीधे ही नामान्तरकरण किये जाने के आदेश दे दिये गये। दिनांक 13.08.14 को ज्ञान होते ही नकले प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई हैं। न्यायहीत में दिनांक 03.01.14 से दिनांक 17.09.14 तक का समय कण्डोन कराया जाकर अपील अन्दर मियाद होने का आदेश प्रदान कराया जावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंटगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 5 एवं धारा 151 जा. दी. का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त जमीन से अपीलान्ट का कोई सम्बन्ध ही नहीं हैं। अपीलान्ट सजग व सचेत हैं। उसे आदेश दिनांक 04.01.14 की पूर्व से ही पूर्णरूपेण जानकारी रही हैं। अपीलान्ट बाहरी व्यक्ति हैं। उसे पंजीकृत वसीयत पर ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा यह नहीं बताया गया है कि प्रथम बार किस दिनांक को पटवारी के पास गई। किस दिनांक को नकल मिली। इस प्रकार बिना स्पष्ट

तथ्यों के जो अपील एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है वह बिल्कुल मियाद से बाहर हैं। किसी आदेश को इल्लीगल कह देने से वह इल्लीगल नहीं होता हैं। अपील के लिये मियाद निश्चित हैं। अपीलार्थी/प्रार्थी के अनुसार ही दिनांक 18.08.14 को उसे जानकारी हो गयी थी और दिनांक 17.09.14 तक मियाद कण्डोन कराने की बात कही हैं। इनके खुद के अनुसार अपील एक दिन मियाद से बाहर हैं। प्रार्थना पत्र में ठोस कारण नहीं होने से मियाद कण्डोन किये जाने का प्रश्न ही नहीं हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तरकरण की नकल के अवलोकन से जाहीर होता है कि अपीलान्ट द्वारा दिनांक 13.08.14 को नामान्तरकरण की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी प्रतिलिपि अपीलान्ट को दिननांक 17.09.14 को जारी हुई हैं। अतः दिनांक 03.01.14 से 17.09.14 तक का समय कण्डोन कर अन्दर मियाद में ली जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर पक्षकारान की बहस सुनी गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त सम्पत्ति अपीलान्ट के दादा दुदाजी के नाम दर्ज थी। उनके नाम दर्ज भूमि विरासत से सभी छः वारीसानों के नाम 1/6–1/6 हिस्से से दर्ज होनी चाहिये। इस संबंध दुदाजी की अन्य भूमियों के संबंध में विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय तहसीलदार गिर्वा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व दुदाजी के अन्य वारीसानों द्वारा एक वसीयत पेश कर उक्त दुदाजी की अन्य भूमियों के साथ में इस भूमि को वसीयत के आधार पर हमारे नाम दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत गलत होकर फर्जी तरीके से बनायी गई हैं का निवेदन करते हुए वसीयत को संदिग्ध बताया गया। जिसे सक्षम न्यायालय से मेरे मुकाबले साबित किये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.13 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये। लेकिन उक्त

आराजीयात के साथ साथ आराजी नम्बर 1921 व 1922 सहवन से लिखना रह जाने से रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा उक्त आराजीयातों का 1/2 हिस्सा वसीयत के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय को मुगालते में रखकर अपने नाम दर्ज करवाने के आदेश प्रदान किये गये। जिसका वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दिनांक 03.01.14 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला जाकर रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज की गई। जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिये गये अपने आदेश दिनांक 23.05.13 से स्वर्गीय दुदाजी की जमीन को विरासत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के आदेश दिये गये। ऐसी स्थिति में उसी वसीयत के आधार पर अपीलीय नामान्तरकरण से रेस्पोडेंट के नाम भूमि दर्ज किये जाने के जो आदेश दिये गये है वह विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्त के हैं। अतः दिये गये आदेश को निरस्त फरमाया जाकर दुदा जी के सभी छः वारीसानों के नाम बहिस्सा 1/6–1/6 दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करें। अपनी बहस की ताईद में आर आर डी 1970 पेज 548, आर आर टी 2002 (1) पेज 257, आर बी जे 2009 पेज 253, आर बी जे 2006 पेज 796 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट के कथनो का खण्डन करते हुए अपने दिये गये जवाब के कथनो को दाहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में अपीलान्ट का कोई संबंध नहीं हैं। अपीलान्ट जो कि बाहरी व्यक्ति है उसे ऐतराज करने का कोई अधिकार नहीं हैं। दुदाजी के वारीसान को पंजीकृत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण खोलने के लिये नोटिस देना भी आवश्यक नहीं हैं। प्रस्तुत अपील भी मियाद बाहर हैं। अपीलार्थी के अनुसार ही दिनांक 18.08.14 को उसे जानकारी हो गई थी एवं दिनांक 17.09.14 तक की मियाद कण्डोन कराने की बात कही हैं। इनके खुद के अनुसार अपील एक दिन मियाद से बाहर हैं। दिनांक 18.08.14 में भी सारभूत परिवर्तन किया है और केवल मियाद में लेने के लिये हाथ से परिवर्तन किया हैं। अतः मियाद कण्डोन कराने के लिये अपीलान्ट को यह बताना आवश्यक है कि किस दिनांक को नकल के लिये प्रार्थना पत्र दिया एवं किस दिनांक को नकल मिली। देरी के

लिये प्रत्येक दिन की देरी का ठोस कारण नहीं बताया हैं। जिससे मियाद कण्डोन की जा सके। अतः अपील मियाद बाहर होने से खारीज कराना फरमावें। अपनी बहस की ताईद में न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या निगरानी/एल.आर./8724/2006/उदयपुर निर्णय दिनांक 28.07.2015, आर आर टी 2001 (2) पेज 990, आर आर डी 2002 पेज 280 के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नजीरो का ससम्मान अवलोकन के पश्चात न्यायालय का निष्कर्ष है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में कथन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश सीधे ही प्रदान किये गये। जबकि वादग्रस्त सम्पत्ति में अपीलान्ट हितबद्ध पक्षकारान हैं। इसी वादग्रस्त भुमि बाबत न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव द्वारा अपने प्रकरण संख्या 24/12 निर्णय दिनांक 23.05.13 से स्वर्गीय दुदाबा की भूमि को उनके प्राकृतिक पक्षकारानो के नाम विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। परन्तु उक्त आराजी में आराजी नम्बर 1921 व 1922 का अंकन सहवन से रह जाने के कारण तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री बजरंगलाल चौहान का स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात् बाद के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीधे ही पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जबकि एक ही प्रकृति के प्रकरण में दो भिन्न प्रकार के आदेश प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। जैसा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने प्रकरण संख्या 24/12 निर्णय दिनांक 23.05.13 में प्राकृतिक वारीसानों के नाम भूमि दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है उन्हीं मुल खातेदार स्वर्गीय दूदाबा की भूमि को पूर्व के अपने आदेश के विपरीत रेस्पोडेंट के नाम दर्ज कर दिये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं। जो न्यायसंगत नहीं हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के ग्राम भुवाणा, न्यायालय तहसील बड़गॉव के नामान्तरकरण संख्या 3629 दिनांक

03.01.14 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बड़गॉव को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उनके इसी वादग्रस्त सम्पत्ति के संबंध में एक अन्य प्रकरण जिसकी अपील न्यायालय में विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या 24/12 निर्णय दिनांक 23.05.13 को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक ..... को अपास्त कर दिया गया हैं। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बड़गॉव को यह आदेशित किया जाता है कि उनके प्रकरण संख्या 24/12 में जो भी नया आदेश पारित करते है उसी परीपेक्ष्य में इस प्रकरण में भी वसीयत के आधार पर हितबद्ध पक्षकारो को सुना जाकर गुणावगुण पर नये सीरे से आदेश पारित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार बड़गॉव को वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर